फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल दवे, 168/3, शीतल नगर, बाणगंगा, इन्दौर, मध्य प्रदेश

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति0 कलक्टर, राजसमन्द

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 01/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 28.01.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांकः— प.1 ( )सू0अ0,05/2020/53—54 दिनांक 20.01.2020 से रिपोर्ट प्रेषित होकर प्राप्त हुई हैं। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना बिन्दु सं0 01 प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग व बिन्दु संख्या 02 प्रभारी अधिकारी सम्पर्क पोर्टल की होने से दोनो ही अनुभागो को इस अनुभाग के जरिये पत्रांक प.1 ( )सू0अ0,05/2019/750—51 दिनांक 30.10.2019 से अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। बिन्दु संख्या 01 से चाही गई सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग से अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना दिनांक 28.11.2019 को प्राप्त हुई जिसे प्रार्थी अपीलार्थी को पत्रांक प.1 ( )सू0अ0,05/2019/856 दिनांक 06.12.2019 को वांछित सूचना जरिये डाक से प्रेषित की गई हैं। बिन्दु संख्या 02 से चाही गई सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी सम्पर्क पोर्टल अनुभाग से पोर्टल अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना दिनांक 27.11.2019 को प्राप्त हुई जिसे प्रार्थी अपीलार्थी को पत्रांक प.1 ( )सू0अ0,05/2019/829 दिनांक 29.11.2019 को वांछित सूचना जरिये डाक से प्रेषित की गई हैं। प्रार्थी अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार वांछित सूचना जरिये डाक से उपलब्ध कराई जा चुकि हैं। अतः अपील को निर्णित करना फरमावें।

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रार्थी अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार वांछित सूचना जरिये डाक से उपलब्ध कराये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुभार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)